



(निवृत्ति प्राप्ति रसीद सहित)
Registered with A/D
JH/RNC/ 30158

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation

क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड

Regional Office, Jharkhand

Bhagirathi Complex, Near Circuit House
Karamtoli, Ranchi - 834001 (Jharkhand)

Phone : 0651 - 2209174, 2209185, 2209145, 2200035, 2200104

Fax No. : 0651 - 2209149

संख्या - ज. ए. व. / डी. ए. / सी. वी. / अनुपालन / धारिता /
No.-JH/RO/RNC/CC/Covrage/ 30158/07/6760

दिनांक : 09/03/07
Date :-

सेवा में,

To,

M/s मेसर्स J. P. Rai
Dharmra, Ranchi - 834001
Type - B-3

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रादीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत शक्ति रकीमों का
मेसर्स पर लागू होना।

Sub : Applicability of the Employee's Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act,
1952 and the Scheme framde thereunder to M/s. J. P. Rai, Dir. No. - 488,
Type - B-3, Dharmra, Ranchi - 834001

महोदय,

Sir,

आपके द्वारा दिनांक को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य
निधि निरीक्षक/प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक को किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट
होता है कि :

On the basis of particulars furnished by you on 09.03.07 and on the basis of the
inspection of the record of your establishment conducted by the provident Fund Inspector/Enforce-
ment officer on it is evident that :

(क) आपकी स्थापना/फैक्ट्री अर्थात् मेसर्स
जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रादीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/ अनुसूची-1 में शामिल
कार्य में रही हुई है।

M/s J. P. Rai
A. K. Kumar
Proprietor

(a) Your establishment/factory viz M/s J. P. Rai Ranchi
 is engaged in Building & Construction which is included in schedule 1/classes of establishment in Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952

(ख) उक्त स्थापना/फैक्ट्री में दिनांक को व्यक्ति कार्यरत हैं।
 (b) That the said establishment has employed 20 persons on 01.03.07

(ग) इसने कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16(1) (ख) के उपबन्धों के अंतर्गत को 5/3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित रकमों, उपरोक्त नामित स्थापना, उसके मुख्य कार्यालय और उनकी शाखाओं/विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं..... तारीख को स्थायी/अस्थायी रूप से इस शर्त पर लागू है, कि आपके पूर्व रिकार्डों की पुनः जाँच की जाएगी।

(c) That it has completed the infancy period in terms of provisions of Sec. 16(1) of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous provisions Act, 1952, of 5/3 years on therefore, the provisions of the E.P.F. and Misc. Provisions Act, 1952 and the Scheme framed there under are applicable to your above named establishment together with head office and its branches whether situated at the same place or at different places w.e.f. 01.03.07 finally/provisinally subject to further verification of your records for the earlier period.

(घ) अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपको स्थापना पर लागू करने के लिए आपसे प्राप्त आवेदन पत्र संदिनांक के संदर्भ में आपके स्थापना अर्थात् मेसर्स को कोड संख्या एलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रूप से दिनांक से लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा (1) उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर लेती।

(d) With reference to your application No. dated received for extension of E.P.F. & Misc Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the said Act, on a voluntary basis, a code no.

provisionally covering your establishment with effect from pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub section (4) of section 1 of the E.P.F. & Misc. Provision Act, 1952.

2 आपकी स्थापना कोड नम्बर कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952, और उसके अंतर्गत रचित रकमों अर्थात् भविष्य निधि रकम, 1952 कर्मचारी पेंशन रकम 1971, को पे 0 यो 0 16.11.95 से प्रभावों और निक्षेप सहवृद्ध बीमा रकम 1976 के विभिन्न उपबन्धों अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

The code No JH/RNC/ 90158 is allotted to your estt. for the purpose of making compliance with the various provisions of the E.P.F. & Misc. Provisions Act 1952 F.P.F. Scheme, 1971, Employees person Scheme w.e.f. 16-11-95 and Deposit Linked Insurance Scheme, 1976. This code No. should invariably be quoted in all the correspondences with this office.

3 नियोजता द्वारा देय अंशदान को दर मूल वजन, महंगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नकद मूल्य सहित) निवार्य भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को 12% प्रतिशत की दर से प्रतिमाह देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की दर नियोजता द्वारा देय दर के समान होगी।

M/s J. P. Rai
 Alok Kumar

Proprietor

Employees Provident Fund, and the Securities thus transferred should be sent to this office. A note containing the instructions in the matter of transfer to these accumulations is enclosed. Cash on hand in relation to the Accounts of the private Provident Fund should be remitted within 30 days from the date of receipt of this communication, failing which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date.

कृपया पत्र व अंगुलमनों की प्राप्ति रसीद भिजवाने की कृपा करें।

The receipt of this letter along with its enclosures may kindly be acknowledged.

(C. P. BARRA)

सहायक/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, झारखण्ड, राँची
Asstt./ Regional Provident Fund Commissioner, Jharkhand Ranchi

अधुलग्नक :

Encl :

1. कर्मचारी भविष्य निधि रकमीम, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा की लागू करने से संबंधित निर्देश।
1. Instructions regarding implementation of the Employees Provident Fund scheme, Family Pension Scheme Employees Pension scheme 1995 and Employees Deposit Linked Insurance Scheme.
2. लेखा संख्या अलाट करने से संबंधित निर्देश।
2. Instructions regarding allotment of Account No.
3. पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभुतियों का हस्तान्तरित करने से सम्बंधित निर्देश।
3. Instructions regarding transfer of previous Provident Fund Accumulations and transfer of securities.
4. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कुटुम्ब पेंशन अंशदान, कठ पेंड स्कीम.अंशदान, निक्षेप सहवृद्ध बीमा अंशदान की संगणना से संबंधित रेडी रेकनर।
4. Ready Reckoner for calculation of Provident Fund contributions, Family Pension contribution, Employees Pension Scheme Contribution and Deposit Linked Insurance contribution.

M/s J. P. Rai

Alok Kumar

Proprietor

- 1 लेखा अनुभाग क्षेत्रीय कार्यालय (यह समझा जाता है कि इस फॅक्ट्री / स्थापना के पास भविष्य निधि से संबंधित ऐसी राशि जमा है / नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना है। इस गुण द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युचितियों के साथ नोट किया जाए।
- 1 Accolunts Branch Regional Office ----- R.N. - 48 ----- (It is understood that this factory/ establishment has/ had no previous Provident Fund accumulations to transfer to Employees Provident Fund. This may please be noted in the contributions register maintained in the group with suitable remarks).

- 2 कम्प्यूटर अनुभाग
2 EDP Section
- 3 कवरेज गार्ड फाइल
3 Coverage Guard file
- 4 प्रवर्तन पदाधिकारी
4 Enforcement Officer

सहायक/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
झारखण्ड, रॉंची
Assistant/ Regional Provident Fund Commissioner
Jharkhand, Ranchi.

M/s J. P. Rai
Atokkumar
Proprietor



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
क्षेत्रीय कार्यालय, झारखंड
नामकुम, राँची

दूरभाष: 0651-2261569(Fax), 2261581 & 2261127

दिनांक - 04-01-2010

पत्रांक - आर/60000136610001009/बीमा-1 / 1368
राँचा में, 6/1/2010

M/S. J. P. RAI,
SECTOR-9, OR. NO. B-III-488,
DHURWA, RANCHI

विषय : क0रा0बी0 अधिनियम का कार्यान्वयन तथा संशोधित क0रा0बी0 अधिनियम 1948 की धारा 2(12) / 1(5) के अधीन कर्मचारियों और कारखाना / स्थापना के पंजीयन।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि क0 रा0 बी0 अधिनियम की धारा -1(3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं० दिनांक के द्वारा क्षेत्र में अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त सभी कारखाना/स्थापनाओं के लिए अधिनियम के उपबंध लागू किये हैं।
2 मुझे पुनः सूचित करना है कि सरकार ने अधिसूचना सं० दिनांक के द्वारा दिनांक से अन्य स्थापनाओं के लिए भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों का विस्तार किया है।

3 अधिनियम की धारा 2A के अधीन इस प्रकार के कारखाना / स्थापना को अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकृत करा लेना अपेक्षित है। आर वेक्टर IV प्रधान नियोजक को अपने कर्मचारियों का बीमा कराने और अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त ऐसे कर्मचारीयों से संबंधित अदा करने के लिए उत्तरदायी करार देना है।

4 आपके द्वारा प्रस्तुत कारखाना / स्थापना से संबंधित ब्योरा ~~शेष विवरण / संपन्न कार्यालय प्रबंधक द्वारा~~ दिनांक 04-01-10 को आपकी स्थापना के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कारखाना / स्थापना दिनांक 26-12-2009 से अन्तिम/अन्तिम रूप से (Provisionally/Finally) अधिनियम की धारा 1(5) की व्यवस्था में है। तथापि यदि अनुवर्ती तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आपका कारखाना / स्थापना उपर उल्लिखित तिथि से व्यापित था तो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन प्रारम्भिक तिथि से ही करेंगे।

आपसे अनुरोध है कि अधिनियम के अधीन अपने कारखाना/स्थापना की व्यक्ति की तिथि से घोषणा प्रपत्र भरकर अंशदान विवरणी तयार कर एवं अभिलेखा का अनुक्षण कर अपने कर्मचारियों के पंजीयन हेतु तत्काल कदम उठाये।

सुविधा के लिए आपकी स्थापना को कूट संख्या 60000136610001009... आबटित की गई है। कृपया इस कूट संख्या को इस कार्यालय को भेजे गये सभी सवादों एवं प्रयोजन के निमित्त सक्रिय सभी स्थानों को भेजे जानेवाले सभी प्रपत्रों में प्रयोग करें। निगम के शाखा कार्यालय केन्द्र (राँची) को निर्देश दे दिए गये हैं कि योजना के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर आपकी आवश्यक सहायता करें। आपसे अनुरोध है कि कृपा उपर्युक्त शाखा कार्यालय के प्रबंधक से संपर्क करें। वह इस मामले में आपकी आवश्यक सहायता करेंगे।

आपकी स्थापना में कर्मचारियों को आपने राज्य बीमा औषधालय, बीमा चिकित्सा व्यवसायी के वयन हेतु बीमा चिकित्सा व्यवसायी राज्य बीमा औषधालय का प्रचारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शेषित प्रपत्र आदि कृपा उपर उल्लिखित शाखा कार्यालय से प्राप्त करें। आपके सभी कर्मचारी उल्लिखित शाखा कार्यालय से संबद्ध होंगे।

निगम के कर्मचारी / अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन आपके कर्तव्यों और दायित्व के अनुपालन के लिए आपको सभी आवश्यक और सभ्य सहायता प्रदान करने में प्रयत्नता का अनुभव करेंगे और भरा विश्वास है कि आपके और से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का शीघ्र और समय पर अनुपालन किया जायेगा।

प्रधान नियोजक (Principal Employer) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 40(1) तथा 41 के अन्तर्गत अपने डीकेदार (क0रा0बी0 कूट संख्या सहित अथवा सहित) द्वारा नियोजित कर्मचारियों के देनदारी से मुक्त नहीं होंगे।

आपको उल्लेखित शाखा कार्यालय के प्रधान नियोजक के रूप में पंजीकृत करने के लिए आपकी स्थापना को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

राजस्थान
(आर. जे. गुप्ता)
क्षेत्रीय निदेशक

- प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 1 बीमा निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तीन माह के अन्दर अन्तिम रूप से व्यापित हेतु आवश्यक प्रतिवेदन भेजें।
 - 2 शाखा कार्यालय प्रबंधक को
 - 3 लेजर शाखा क्षेत्रीय कार्यालय - राँची
 - 4 अंशदान शाखा क्षेत्रीय कार्यालय - राँची
 - 5 क्षेत्रीय कार्यालय, भविष्यविधि - राँची
 - 6 सलगन कर्मचारियों की संख्या - (20)

क्षेत्रीय निदेशक

M/S J. P. RAI
J. P. Rai
Proprietor